रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12092024-257111 CG-DL-E-12092024-257111

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3581]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 12, 2024/भाद्र 21, 1946

No. 3581]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 12, 2024/BHADRA 21, 1946

## वस्त्र मंत्रालय

## आदेश

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2024

का.आ. 3916(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का मत है कि सार्वजनिक हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद, एतद्वारा, निम्नलिखित आदेश किया जाता है, नामत :-

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ (1)** इस आदेश को प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स गुणवत्ता नियंत्रण (नॉन-डोमेस्टिक फर्नीचर हेतु अपहोलस्टर्ड कंपोजिट्स) आदेश, 2024 कहा जाएगा।
  - (2) यह, इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगा।
- प्रयोज्यता यह आदेश निम्नलिखित पर लागू होगा
  - (क) इस आदेश के अनुबंध के रूप में संलग्न अनुसूची के कॉलम (2)में निर्दिष्ट सामान या वस्तुओं पर लागू होगा। परंतु यह, निर्यात के लिए बने सामानों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।
  - (ख) अपहोल्स्टर्ड कंपोजिट्स या फैब्रिक जिसका कच्ची सामग्री या रोल्स के रूप में व्यापार किया जाता है अथवा नॉन-डोमेस्टिक फर्नीचर के संयोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है:

5866 GI/2024 (1)

- बशर्ते कि नॉन-डोमेस्टिक फर्नीचर, जिसमें अपहोस्टर्ड फैब्रिक को तैयार उत्पाद के भाग के रूप में प्रयोग किया गया है, के संयोजन का व्यापार करने वाले उद्योग(विनिर्माण या आयातक) को 31 मार्च 2025 तक इस आदेश से छूट रहेगी।
- 3. **मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग -** उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट सामान या वस्तु उसके कॉलम (3) में निर्दिष्ट सदृश भारतीय मानक के अनुरूप होंगी और उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता आकलन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की योजना-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से प्राप्त लाइसेंस के तहत मानक चिह्न अंकित होगा।
- 4. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी भारतीय मानक ब्यूरो उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट सामानों या वस्तुओं के संबंध में प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

# अनुसूची

क्र.सं.	सामान या वस्तुएं	भारतीय मानक (आईएस)	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	नॉन डोमेस्टिक फर्नीचर हेतु प्रयोग किए जाने वाले अपहोस्टर्ड कंपोजिट्स	आईएस 15768 : 2008	वस्त्र - नॉन डोमेस्टिक फर्नीचर हेतु प्रयोग किए जाने वाले अपहोस्टर्ड कंपोजिट्स की ज्वलन से प्रतिरोधक क्षमता – विनिर्देशन

## नोट:

- (1) अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारतीय मानक अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 2 के खंड (17) के उपबंधों के अनुसार समय-समय पर स्थापित और प्रकाशित भारतीय मानकों का नवीनतम संस्करण, ऐसे प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।
- (2) इस आदेश के संबंध में 'नॉन-डोमेस्टिक फर्नीचर' की परिभाषा के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी आईएस 15768 : 2008 से देखा जाएगा।
- (3) इस आदेश के प्रयोजन और प्रभाव क्षेत्र हेतु, कोई भी उद्योग या फर्म जो घरेलू प्रयोजनों हेतु अपहोस्टर्ड फर्नीचर का निर्माण या उसका संयोजन करना चाहता है, उसे आईएस 15768 : 2008 के तहत इस आशय की स्वघोषणा करनी होगी कि 'उनके उत्पाद घरेलू आवश्यकताओं के लिए बनाए गए हैं।' यह घोषणा अनुपालन के प्रयोजनों हेतु पर्याप्त मानी जाएगी।
- (4) यह आदेश दिनांक 12 सितंबर 2024 की अधिसूचना संख्या स.आ.3896(अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश. 2024 के क्रम में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 6/1/2021-आरएंडडी (पार्ट-3)] राजीव सक्सेना, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF TEXTILES ORDER

New Delhi, the 12th September, 2024

**S.O.** 3916(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order, namely:-

- 1. Short title and commencement.— (1) This Order may be called the Protective Textiles Quality Control (Upholstered Composites used for Non-Domestic Furniture) Order, 2024.
  - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- **2. Application** This Order shall apply to :-
  - (a) goods or articles specified in column (2) of the Schedule annexed to this Order, but shall not apply to such goods or article meant for export;
  - (b) upholstered composites or fabric traded as raw material or rolls or used in assembly of non-domestic furniture:

Provided that the industry dealing with the assembly of non - domestic furniture (manufacturing or importing), wherein upholstered fabric is used as part of the finished furniture product shall be exempted from this Quality Control Order till 31st March 2025.

- 3. Compulsory use of Standard Mark. The goods or article specified in column (2) of the said Schedule shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (3) thereof and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau in accordance with Scheme-I of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- **4. Certification and enforcement authority.** The Bureau shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or article specified in column (2) of the said Schedule.

### **SCHEDULE**

Sl. No.	Goods or article	Indian Standard (IS)	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Upholstered composites used for non-domestic furniture	IS 15768 : 2008	Textiles - Resistance to ignition of upholstered composites used for non-domestic furniture – Specification

#### Note:

- (1) For the purposes of the Schedule, it is clarified that the latest version of Indian Standards established and published by the Bureau from time to time in accordance with the provisions of clause (17) of section 2 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), shall apply from the date of such publication.
- (2) Definition of "non- domestic furniture" with regards to this Order is to be referred from the standard IS 15768:2008 issued by Bureau of Indian Standards.
- (3) For the purpose and scope of this Order, any industry or firms who wish to manufacture or assemble upholstered furniture for domestic purposes shall have to give a Self- Declaration under IS 15768: 2008 that 'their products are meant for domestic requirements'. This declaration is deemed sufficient for compliance purposes.
- (4) This Order issues in continuation to the Protective Textiles (Quality Control) Amendment Order, 2024 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii), vide notification number S.O. 3896 (E) dated 12th September 2024.

[F. No. 6/1/2021-R&D(Pt.3)]

RAJEEV SAXENA, Jt. Secy.